8/5/24 पत्रावली पेश हुई आपत्ति अधिवक्ता को साक्ष्य दिये जाने हेतु एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 29.5.2024 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

29.5.24 पत्रावली पेश हुई। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेज व तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि तहसीलदार शिवगंज की जांच रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही में दर्ज प्रकरण सं॰ 16/85 दिनांक 02.12.1988 व अपीलीय न्यायालयों के निर्णयों के अध्यधीन रहते हुए प्रार्थीया गोविन्द कुंवर पत्नी बहादुरसिंह राजपूत निवासी सियाट तह॰ सोजत जिला पाली व अन्य सह खातेदारों के नाम दर्ज हुआ है। अतः प्रार्थीया के द्वारा बताया गया गोविन्द कुंवर पत्नी बहादुरसिंह का नाम विरासत या हस्तांतरण से न आकर न्यायालय के निर्णय से

लगातार.....

दर्ज हुआ है। साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता को साक्ष्य हेतु अवसर दिये जाने पर भी कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। जिससे उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट मेंटेनेबल नहीं होने से खारिज किया जाता है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं० से कम हो।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)